झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

एफ0–49/50, सेक्टर–III धुर्वा, राँची–834004.

दूरभाष सं0–0651–2440226, 2440234, 2440235 फैक्स–0651–2440226

e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–04/2015

{गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन आरक्षी {जिला बल एवं झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी संख्या–(2 से 10)} के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2015}

झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा– 2015

Jharkhand Constable Competitive Exmination-2015

{JCCE-2015}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 11/क0च0आ0–02–06/2014 (खण्ड) का0–4036 (अनु0) दिनांक–01.05.2015, पत्रांक– 11/क0च0आ0–02–06/2014 (खण्ड) का0–6168

(अनु0) दिनांक–09.07.2015 के द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा– 2015 के लिये **ऑन–लाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार यथा निर्धारित अर्हता अनुसार जिला पुलिस बल अथवा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन दे सकते है। झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी अथवा जिला पुलिस बल की रिक्ति के विरूद्ध किसी एक बल के लिए अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। जिला पुलिस बल के विरूद्ध आवेदन देने की स्थिति में आवेदक को मात्र एक जिला के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन देने का विकल्प रहेगा। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट– **www.jssc.in** पर लॉगईन **(log in)** करके समर्पित किया जा सकता है।

2. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस बल तथा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी में आरक्षियों की कोटिवार रिक्तियों की विवरणी :–

जिला– राँची, कुल रिक्ति– 548

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	90	09	70	5	09	90	09	70	5	09
महिला	44	04	34	3	04	45	05	35	3	05

जिला– लोहरदगा, कुल रिक्ति– 154

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	25	00	25	00	00	26	00	26	00	00
महिला	13	00	13	00	00	13	00	13	00	00

जिला– गुमला, कुल रिक्ति– 165

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	27	00	27	00	00	28	00	27	00	00
महिला	14	00	14	00	00	14	00	14	00	00

जिला– सिमडेगा, कुल रिक्ति– 277

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	70	04	19	00	00	70	04	19	00	00
महिला	34	02	09	00	00	34	02	10	00	00

जिला– खुंटी, कुल रिक्ति– 135

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	40	01	03	00	00	41	02	03	00	00
महिला	20	01	01	00	00	20	01	02	00	00

जिला– पलामू, कुल रिक्ति– 533

	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	143	00	36	00	00	143	00	36	00	00
महिला	70	00	17	00	00	70	00	18	00	00

जिला– गढ़वा, कुल रिक्ति– 415										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	102	26	11	00	00	102	26	11	00	00
महिला	50	13	05	00	00	50	13	06	00	00

जिला– लातेहार, कुल रिक्ति– 402										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	78	07	46	01	03	78	07	46	01	03
महिला	38	04	22	01	01	38	04	22	01	01

जिला– पूर्वी सिंहभूम, कुल रिक्ति– 605										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	101	00	60	00	42	101	00	60	00	42
महिला	50	00	29	00	20	50	00	30	00	20

जिला– पष्चिमी सिंहभूम, कुल रिक्ति– 94										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	15	01	14	00	00	16	01	15	00	00
महिला	08	01	07	00	00	08	01	07	00	00

जिला– सरायकेला, कुल रिक्ति– 206										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	66	03	00	00	00	66	03	00	00	00
महिला	32	01	00	00	00	33	02	00	00	00

जिला– हजारीबाग, कुल रिक्ति– 364										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	100	15	00	00	07	100	15	00	00	07
महिला	49	7	00	00	04	49	7	00	00	04

जिला– गिरिडीह, कुल रिक्ति– 416										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	126	04	00	00	09	126	04	00	00	09
महिला	62	02	00	00	05	62	02	00	00	05

जिला– कोडरमा, कुल रिक्ति– 127										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	21	07	03	04	06	21	07	03	05	07
महिला	10	04	02	02	03	11	04	02	02	03

जिला– चतरा, कुल रिक्ति– 267										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	77	12	00	00	00	78	12	00	00	00
महिला	38	06	00	00	00	38	06	00	00	00

जिला– रामगढ़, कुल रिक्ति– 88										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	15	03	05	02	03	15	03	06	03	03
महिला	07	02	03	01	02	07	02	03	01	02
जिला– बोकारो, कुल रिक्ति– 276										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	45	12	12	10	13	45	12	12	10	13
महिला	22	06	05	06	07	22	06	05	06	07
जिला– धनबाद, कुल रिक्ति– 544										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	99	21	21	16	23	99	22	21	16	24
महिला	49	11	11	08	12	49	11	11	08	12
जिला– दुमका, कुल रिक्ति– 97										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	16	01	15	00	00	16	01	15	00	00
महिला	08	01	07	00	00	08	01	08	00	00
जिला– देवघर, कुल रिक्ति– 188										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	32	07	07	07	09	32	08	07	07	09
महिला	16	04	04	03	04	16	04	04	03	05
जिला– पाकुड़, कुल रिक्ति– 125										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	21	00	18	03	00	21	00	19	03	00
महिला	10	00	09	01	00	10	00	09	01	00
जिला– साहेबगंज, कुल रिक्ति– 19										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	03	00	03	00	00	03	00	03	00	00
महिला	02	00	01	00	00	02	00	02	00	00
जिला– गोड्डा, कुल रिक्ति– 141										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	23	05	12	03	04	23	05	12	03	04
महिला	12	02	06	01	02	12	02	06	02	02
जिला– जामताड़ा, कुल रिक्ति– 93										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	23	01	05	00	00	23	02	06	00	01
महिला	12	01	03	00	00	12	01	03	00	00

झारखण्ड सशस्त्र पुलिस– कुल रिक्ति– 850										
	गृह रक्षक के लिए					अन्य अभ्यर्थियों के लिए				
	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1	अना0	अ0जा0	अ0ज0जा0	पि0व0–2	अ0पि0व0–1
पुरूष	149	25	73	04	33	149	25	73	05	33
महिला	73	13	36	02	16	74	13	36	02	16

टिप्पणी– 1. पुरूषों के लिए दी गयी रिक्तियों के विरूद्ध महिला उम्मीदवार मेधा के आधार पर चयनित की जा सकेंगी बशर्ते की वे पुरूष के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अंतर्गत हों।

2. गृह रक्षक के लिए दी गयी रिक्तियों के विरूद्ध अपेक्षित संख्या में योग्य गृह रक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपूरित (unfilled) रिक्तियों के विरूद्ध अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।

3. गृहरक्षक के लिए पदों का कर्णाकंण– जिला पुलिस बल एवं झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी के लिए झारखण्ड राज्य से पंजीकृत गृहरक्षक के प्रशिक्षित जवानों, के लिए 50 प्रतिशत पद कर्णांकित हैं। **झारखण्ड राज्य से पंजीकृत गृहरक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात तीन वर्ष की अवधि एवं कम से कम छः माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो, को ही यह लाभ मिलेगा।** गृहरक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृहरक्षक की शेष रिक्तियाँ गैर गृहरक्षक उम्मीदवारों से भरी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के गृहरक्षकों को पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। प्रमाण पत्र जाँच के पश्चात अभ्यर्थी की पात्रता के बिन्दु पर अंतिम निर्णय हो सकेगा। **किसी भी समय पात्रता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है।**

5. कंडिका– 2 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को)
1	2	3	4
1	आरक्षी जिला पुलिस बल/झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी	वेतन बैंड पी0बी0I– रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2000/–	झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा उर्त्तीण।

6. शारीरिक योग्यता :–

जिला पुलिस/झारखण्ड सषस्त्र पुलिस की वाहिनी आरक्षी के लिए

क्रमांक	आरक्षण वर्ग	ऊँचाई (से0मी0)	सीना (से0मी0)

1.	अनारक्षित	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
3.	अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
5.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
6.	महिला	न्यूनतम 148	–

अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, घनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अधखुली आँख, कम दृष्टि, दर्शान्ध, ऊँगलियों को एचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए। आँख, कलर ब्लाईंडनेश, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।

7. आयु सीमा:– उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2015 के आधार पर की जायेगी।

1. न्यूनतम उम्र – 18 वर्ष ।

2. अधिकतम उम्र :–

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थी	गृहरक्षक
1.	अनारक्षित/सामान्य–	**25 वर्ष**	**30 वर्ष**
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)– (पुरूष)	**27 वर्ष**	**32 वर्ष**
3.	झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी श्रेणी की {अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)}– की महिला–	**28 वर्ष**	**33 वर्ष**
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	**30 वर्ष**	**35 वर्ष**

8. आरक्षण:–

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट (गृह रक्षक की उम्र सीमा में छूट को छोड़ कर) केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:–

(i) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र **(नियोजन के लिए)**– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। **(परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र)**

(ii) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए **परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए दिनांक– 31.03.2015 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एंव जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

निर्धारित प्रपत्र में हीं प्रमाण पत्र मान्य होगें। किसी अन्य प्रपत्र में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।

9. ON LINE **आवेदन पत्र को भरना :–** ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for JCCE-2015 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। **एक अभ्यर्थी सिर्फ एक जिला बल अथवा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी की रिक्तियों में से कोई एक रिक्ति के विरूद्ध तथा उत्पाद आरक्षी के पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिला पुलिस बल की रिक्तियों का विकल्प देने की स्थिति में अभ्यर्थी मात्र किसी एक जिला विशेष की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन कर सकते हैं तथा उस जिला के लिए चिन्हित जनजातीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा का चुनाव करेंगे। झारखण्ड सशस्त्र पुलिस वाहिनी के लिए आवेदन देने की स्थिति में सभी जिलों के लिए चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातिय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन परीक्षा के लिए कर सकते हैं। अभ्यर्थी को चयनित भाषा की परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थी जिस जिला अथवा वाहिनी के लिए आवेदन करेंगे उसी जिला/वाहिनी की रिक्ति के विरूद्ध चयन हेतु विचारणीय होंगे।**

आवदेकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit **करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन** Submit **करें। एक बार आवेदन** Submit **करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।**

जिलावार चिन्हित जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा की विवरणी परिशिष्ट IV पर है।

प्रत्येक जिला बल एवं झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी के लिए अलग–अलग मेधासूची/चयन सूची गठित की जायेगी।

10 . **ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश**

(III) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की

वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(IV) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(V) उम्मीदवार के फोटो, हाल के, होने चाहिये। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार न करें।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा। ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 27.08.2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन भरने (Submit) की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2015 संध्या 5.00 बजे तक है। इस अवधि के बाद ऑन–लाईन आवेदन का लिंक बंद कर दिया जायेगा।

(VI) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट–www.jssc.in पर जाएँ एवं online Application for JCCE-2015 को click करें। तत्पष्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनो की आवष्यकता होगी। पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉगिन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना तथा अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ फोटोग्राफ,हस्ताक्षर एवं बाएँ अंगूठे का निषान अपलोड कर दें। जिस तिथि को आप यह कार्य पुरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉगिन कर आप भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा।

11. परीक्षा का स्वरूप

1. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–** परीक्षा तीन चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

(ग) शारिरीक जाँच एवं चिकित्सीय परीक्षा

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा–

(I) प्रारम्भिक परीक्षा एक पत्र की एक पाली में होगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या–100 तथा परीक्षा अवधि दो घंटे की होगी।

इस पत्र में सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबीलिटी (Numerical ability) तथा हिन्दी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न हिन्दी में होंगे। प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर का होगा।

(ख) मुख्य परीक्षा :–

मुख्य परीक्षा में दो पत्रों की परीक्षा होगी।

(I) पत्र–1:– अभ्यर्थी द्वारा चयनित जनजातिय/क्षेत्रीय भाषा। इस पत्र में संबंधित जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के अपठित उद्धरण, गद्यांस, पद्यांस एवं व्याकरण (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल पर्यायवाची शब्द मुहावरे एवं लोकोक्ति इत्यादी) से प्रश्न होगें। क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसकी व्याकरण की जानकारी रखते हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध–शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

प्रश्नों की संख्या 100। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 300।

(II) पत्र–2:– इस पत्र के दो भाग होंगे। भाग–1 हिन्दी भाषा से संबंधित होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित, हिन्दी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धि करण से संबंधित होंगे। भाग–2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबीलिटी (Numerical ability) से संबंधित होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा। कुल अंक 300। (परीक्षा का स्तर– मैट्रिक)

सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु–विकल्पीय उत्तर आधारित होगें। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक की कटौती होगी।

(ग) शारीरिक जाँच परीक्षा :–

(1) ऊँचाई एवं सीने की माप का जाँच किया जायेगा। (महिलाओं की सिर्फ ऊँचाई की माप की जायेगी)

2. दौड़

(क) पुरूषों के लिए 10 कि0मी0 60 मिनट में।
(ख) महिलाओं के लिए 05 कि0मी0 30 मिनट में।

(घ) चिकित्सीय परीक्षा :–

चिकित्सीय परीक्षण में आँख, कलर ब्लाईंडनेश, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट आदि की जाँच की जायेगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, घनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अधखुली आँख, कम दृष्टि, दर्शान्ध, ऊँगलियों को एचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए।

12. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू0 200 (दो सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 50 (पच्चास रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में निम्नवत राशि का भुगतान भी करना होगा–

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंको के नेट बैंकिग एवं डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 11.40।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के नेट बैंकिग से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 17.10।

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के डेबिट कार्ड एवं किसी भी क्रेडिट कार्ड से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 12.54।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चालान के द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 57.00।

13. मेधा सूचीः–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारम्भिक परीक्षा की मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा जिसमें उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षित पदों की संख्या के पाँच गुणा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हों।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊँचाई के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा। जिनकी ऊँचाई अधिक होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा।

(iii) मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र–1 में अभ्यर्थियों को तीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र–1 में तीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जायेगा और उनके प्रश्न पत्र–2 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र–1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंको की गणणा मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जायेगीः–

30% –	–	00 अंक
31% – 40%	–	01 अंक
41% – 50%	–	02 अंक
51% – 60%	–	03 अंक

61% – 70% – 04 अंक
71% – 80% – 05 अंक
81% – 90% – 06 अंक
91% – 100% – 07 अंक

(iv) मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंको के योग के आधार पर अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक निम्न रूपेण होगाः–

(I) अनारक्षित/सामान्य वर्ग – 40 (चालीस) प्रतिशत
(II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति – 32 (बत्तीस) प्रतिशत
(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) – 34 (चौतीस) प्रतिशत
(IV) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) – 36.5 (साढ़े छतीस) प्रतिशत
(V) झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला {अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)} – 32 (बत्तीस) प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल नहीं किए जायेंगे तथा वे नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

(v) मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र में प्राप्त अंक तथा प्रश्न पत्र–1 में प्राप्त अंको को (यथा उपर्युक्त कंडिका– **III** के अनुसार गणणा कर) कुल योग के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।

(vi) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् प्रथम चरण में कोटिवार रिक्तियों की तीन गुणा संख्या में उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए यथा समय गृह विभाग द्वारा गठित चयन पर्षद के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। शारीरिक जाँच परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि एवं स्थान की सूचना आयोग के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों एवं आयोग के वेवसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

शारिरीक जाँच परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, **तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को शारिरीक जाँच परीक्षा एवं प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा। शारीरिक जाँच परीक्षा में कोई अंक नहीं दिए जायेंगे लेकिन इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।**

(vii) मुख्य परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर शारीरिक जाँच परीक्षा के उत्तीर्ण/योग्य अभ्यर्थियों का सर्व प्रथम जिलावार तथा झारखण्ड सशस्त्र वाहिनी के लिए अलग–अलग मेधा सूची बनायी जायेगी एवं रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित की जायेगी। इसके पश्चात सभी जिलों तथा वाहिनी की शेष मेधा सूची के अभ्यर्थियों की एक समेकित मेधा सूची बनायी जायेगी।

(viii) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए प्रारम्भिक परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेवसाईट पर upload होगा। **मुख्य परीक्षा, शारीरिक जाँच**

परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी दी जायेगी।

14. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

15. अन्यान्य

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।

3. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) **परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।**

(xvii) **प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के website पर upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से**

अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेगें तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।

(xviii) परीक्षा सिर्फ राँची में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परंतु आवश्यकता होने पर अन्य शहरों में भी परीक्षा आयोजित किया जा सकेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यताः जमा करना होगा।

(xx) परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टी (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें। OMR ANSWER SHEET में किसी भी प्रकार के चिन्ह बनाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(xxi) आयोग कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय आवेदक अपना Registration No/Roll No/ पूर्ण पता (Pincode सहित)/e-mail Id/ Mobile No. एवं संबंधित कागजात की Self Attested Photo Copy प्रति अनिवार्य रूप से दें।

(xxii) इस परीक्षा से संबंधित सूचनाएँ समाचार पत्र तथा आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(xxiii) आयोग को अपरिहार्य कारणो से विज्ञापन एवं परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक

<u>परिशिष्ट (I)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/बि0बि0आ0–019–03/2002–4156 दिनांक– 17 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र

कार्यालय का नाम :–

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)

संख्या :–....................................... तिथिः....................
....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/ पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर....................................... पो0 ...., थाना ...., जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण–पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 3389, दिनांक– 22 दिसम्बर, 2001 के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या– 3/स्था0नि0 5014/81–806, दिनांक– 03 मार्च, 1982 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के संदर्भ में मान्य होगा।

स्थान :–
दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....
पदनाम ....

———————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

..

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर.......................... थाना .... जिला .... राज्य............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर.............................., जिला.........................., राज्य................... में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

<u>परिशिष्ट (III)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (IV)

जिलावार जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची।

क्र0सं0	जिला का नाम	जनजाति भाषा	क्षेत्रीय भाषा
1.	राँची	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी,पंचपरगनिया,कुरमाली,बंगला
2.	लोहरदगा	कुडुख	नागपुरी
3.	गुमला	कुडुख, खड़िया, असुर, बिरहोर	नागपुरी
4.	सिमडेगा	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी
5.	खुँटी	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी,पंचपरगनिया,कुरमाली
6.	पलामू	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
7.	गढ़वा	कुडुख	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
8.	लातेहार	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
9.	पू0 सिंहभूम (जमशेदपुर)	मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख	कुरमाली, बंगला, उड़िया
10.	प0 सिंहभूम	मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख	कुरमाली, उड़िया
11.	सरायकेला—खरसावाँ	हो, भूमिज, मुण्डारी, संथाली	पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला
12.	हजारीबाग	संथाली, कुडुख, बिरहोर	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
13.	गिरिडीह	संथाली	खोरठा, कुरमाली
14.	कोडरमा	संथाली	कुरमाली, खोरठा
15.	चतरा	संथाली, कुडुख,मुण्डारी, बिरहोर	नागपुरी, खोरठा
16.	रामगढ़	संथाली, कुडुख, बिरहोर	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
17.	बोकारो	संथाली	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बंगला
18.	धनबाद	संथाली	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बंगला
19.	दुमका	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
20.	देवघर	संथाली	खोरठा, अंगिका
21.	पाकुड़	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
22.	साहेबगंज	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
23.	गोड्डा	संथाली, माल्तो	खोरठा, अंगिका
24.	जामताड़ा	संथाली	खोरठा, बंगला, अंगिका